

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2600
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कें

2600. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देने के अभियान के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य सड़कों से राज्यवार कितनी ग्रामीण सड़कों को जोड़ा गया है तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के विकास के लिए कितनी निधि □ बंटित की गई है और □ बंटित निधि में से व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की लंबाई और उनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री □ वास योजना (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के विकास के लिए रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश और व्यय का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध- II, अनुबंध- III और अनुबंध- IV में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2600 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लंबाई और उनकी संख्या

क्र. सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मित सड़कों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	निर्मित सड़कों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	निर्मित सड़कों की संख्या	निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)
1	अंध्र प्रदेश	101	733.55	52	154.057	55	336.73
2	अरुणाचल प्रदेश	13	1,360.51	34	1,132.02	105	1317.637
3	असम	234	929.515	279	1,618.63	725	4,300.53
4	बिहार	2273	6,601.12	1330	5,223.09	1,750	4,227.13
5	छत्तीसगढ़	236	1,019.57	208	1,901.49	298	3112.355
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	31	211.875	44	50.306	17	14.39
8	हरियाणा	3	62.845	3	38.28	1	4.95
9	हिमाचल प्रदेश	144	1,429.27	142	1,772.53	148	1334.35
10	जम्मू और कश्मीर	91	1,785.16	151	1,804.54	226	1,622.20
11	झारखंड	804	3,119.52	1095	4,519.15	822	3,573.47
12	कर्नाटक	127	897.09	11	58.98	5	6.63
13	केरल	126	314.327	60	356.01	92	309.489
14	मध्य प्रदेश	939	5,081.97	1745	5,222.45	999	4,520.84
15	महाराष्ट्र	199	2,000.70	196	569.758	94	266.828
16	मणिपुर	93	1,485.85	92	731.199	103	852.235
17	मेघालय	54	368.865	56	150.329	38	211.424
18	मिजोरम	9	298.08	7	237.132	4	266.585
19	नागालैंड	4	395	4	85	7	208.99
20	ओडिशा	1125	5,796.93	1107	7,175.61	1,459	8,151.30
21	पंजाब	52	586.53	51	851.75	66	246.775
22	राजस्थान	252	3,113.10	1500	3,257.03	273	2,527.29
23	सिक्किम	37	247.422	57	419.155	52	351.919
24	तमिलनाडु	330	883.189	584	1,611.36	505	2,166.86
25	त्रिपुरा	32	405.622	45	313.138	62	169.087
26	उत्तर प्रदेश	463	3,095.25	348	4,106.46	429	1,688.27
27	उत्तराखंड	118	1,989.32	135	1,839.11	129	1756.269
28	पश्चिम बंगाल	482	2,825.53	298	3,213.11	649	5,111.82
29	तेलंगाना	38	408.644	61	302.929	119	381.195
	कुल	8410	47,446.34	9695	48,714.60	9232	49,037.55

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारंकित प्रश्न सं. 2600 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां और व्यय

(रु. करोड़ में)

राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
अंध्र प्रदेश	197.59	214.54	40.00	136.25	200.00	257.43
अरुणाचल प्रदेश	205.92	339.01	700.00	384.85	1350.00	1005.98
असम	475.76	273.75	575.58	397.76	2506.58	2413.64
बिहार	2958.34	2830.38	1349.31	1586.67	60.57	1874.77
छत्तीसगढ़	449.81	313.59	338.96	722.00	664.39	1510.58
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
गुजरात	31.04	40.42	0.00	52.35	0.00	32.69
हरियाणा	44.01	57.65	0.00	28.89	0.00	2.28
हिमाचल प्रदेश	396.61	213.38	360.17	520.82	677.25	690.59
जम्मू और कश्मीर	755.61	428.30	1400.00	731.27	581.46	1066.79
झारखंड	819.59	652.62	1087.89	1247.88	757.32	1175.47
कर्नाटक	331.95	291.81	5.00	50.30	0.56	15.49
केरल	179.45	223.90	169.13	205.99	100.77	225.3
मध्य प्रदेश	1979.48	1393.94	1075.08	1900.87	913.30	2533.07
महाराष्ट्र	606.00	578.87	270.59	381.38	6.75	193.68
मणिपुर	412.19	236.22	219.00	264.64	293.63	309.31
मेघालय	211.99	154.21	45.68	112.85	196.42	158.81
मिजोरम	93.36	74.07	200.00	72.71	51.32	138.48
नागालैंड	8.05	2.08	8.80	18.77	149.26	70.04
ओडिशा	1925.67	1479.39	2038.19	2679.84	2461.50	3289.38
पंजाब	275.66	225.25	318.73	334.66	0.00	227.64
राजस्थान	559.41	575.08	889.90	536.53	0.00	857.63
सिक्किम	138.16	80.67	337.00	205.84	199.40	222.55
तमिलनाडु	309.58	253.19	591.07	528.10	589.00	880.98
तेलंगाना	392.3725	164.31	135.38	132.66	73.31	321.02
त्रिपुरा	1234.87	84.88	866.81	136.09	253.54	129.54
उत्तर प्रदेश	550.2	900.57	686.31	1822.71	988.23	959.98
उत्तराखंड	819.18	315.36	1000.00	608.36	1386.44	698.43
पश्चिम बंगाल	146.0255	753.54	99.22	1253.13	99.64	2058.28
कुल	16507.85	13150.98	14807.79	17054.17	14560.64	23319.83

नोट: किया गया व्यय कुल उपलब्ध निधियों से किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अंश, राज्य अंश, विविध प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल है।

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2600 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत आवंटित और रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19	
		केन्द्रीय रिलीज	उपयोग *	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग *	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग *
1	अंध प्रदेश	21712.79	16706.83	35192.89	26454.13	18605.430	26455.20
2	अरुणाचल प्रदेश	5412.30	0.00	1210.97	0.00	0.000	0.00
3	असम	132197.90	64360.63	166961.67	164213.90	24408.400	116399.33
4	बिहार	211427.06	62255.39	60257.06	389557.39	444931.907	586797.49
5	छत्तीसगढ़	83815.91	79489.26	262507.14	421901.83	263695.439	388143.30
6	गोवा	284.79	353.40	0.00	36.95	0.000	63.30
7	गुजरात	36527.41	10354.16	53264.22	124437.15	68219.850	83360.85
8	हरियाणा	7414.46	8632.26	2153.84	17782.16	2839.560	4626.45
9	हिमाचल प्रदेश	3253.82	2450.35	5087.88	4029.93	1468.940	3488.44
10	जम्मू और कश्मीर	8033.01	2.25	4982.11	9571.50	22683.110	18614.30
11	झारखण्ड	79630.14	42894.84	162629.86	315889.65	173352.475	275971.41
12	कर्नाटक	27864.00	804.18	59304.63	53789.28	18822.480	59746.93
13	केरल	10049.44	16628.11	2140.78	13537.85	0.000	5127.60
14	मध्य प्रदेश	170114.87	198105.06	487626.83	795711.81	425042.660	730916.75
15	महाराष्ट्र	73566.02	97724.76	110207.77	229734.96	113552.930	204615.06
16	मणिपुर	5767.41	1347.45	5855.30	7113.65	429.975	4996.76
17	मेघालय	8078.23	1221.64	4273.76	11649.03	12621.330	10846.38
18	मिजोरम	2482.99	518.25	644.25	2646.51	2923.830	793.95
19	नागालैंड	4676.22	0.00	832.99	16.90	0.000	3902.60
20	उड़ीसा	149452.93	72912.92	312405.90	585156.61	329032.430	458570.28
21	पंजाब	7559.10	377.09	1602.06	3478.54	0.000	12890.15
22	राजस्थान	87153.10	73388.89	189566.23	432161.19	234013.320	318826.32
23	सिक्किम	1190.61	201.65	0.00	1058.85	0.000	576.05
24	तमिलनाडु	69059.77	23195.33	84848.58	113191.93	50279.810	141495.62
25	तेलंगाना	14263.34	0.00	4815.53	0.00	0.000	0.00
26	त्रिपुरा	13455.46	3482.01	18316.45	25118.73	765.980	9888.51
27	उत्तर प्रदेश	223980.45	133461.45	494806.43	1027892.16	277585.808	477842.20
28	उत्तराखण्ड	7484.09	4996.55	1381.40	8162.31	9598.300	6060.01
29	पश्चिम बंगाल	139363.74	173128.46	455666.02	797224.14	437284.790	776381.44
30	अण्डमान और निकोबार	196.37	0.00	33.07	0.00	0.000	0.00
31	दादर और नगर हवेली	282.83	0.00	330.88	55.20	946.970	906.40
32	दमन और दीव	49.88	0.00	8.74	10.40	0.000	5.20
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	70.92	0.00	0.000	23.40
34	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1605800.40	1088993.17	2988986.14	5581584.64	2933105.72	4728331.68

* उपयोग कुल उपलब्ध निधियों में से किया गया जिसमें केन्द्रीय अंश, राज्य अंश, विविध प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल हैं।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 05.07.2019 तक आवास सॉफ्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार उपयोग, जिसमें आईएवाई मकान भी शामिल हैं।

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2600 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां और किया गया व्यय

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय निधियों की रिलीज			व्यय		
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17 *	2017-18 #	2018-19 \$
1	अंध प्रदेश	394021.19	512763.00	668453.62	459814.95	643117.51	831433.14
2	अरुणाचल प्रदेश	15675.99	20679.65	19800.64	15626.21	22597.85	21314.53
3	असम	125459.79	112366.54	105037.23	150108.55	153079.26	133845.69
4	बिहार	166740.56	246888.44	289194.25	219256.62	293103.77	320454.58
5	छत्तीसगढ़	223193.55	289885.21	308293.95	275260.28	331079.93	305092.07
6	गोवा	425.85	56.05	48.83	400.32	286.66	27.67
7	गुजरात	64323.81	82505.07	106079.98	74207.16	89320.16	109577.07
8	हरियाणा	28771.33	30140.64	35625.15	32462.04	31906.33	36544.86
9	हिमाचल प्रदेश	38860.83	58684.46	77873.65	56272.27	56794.42	84946.97
10	जम्मू और कश्मीर	80408.52	125417.69	79334.12	83343.45	116971.16	86204.47
11	झारखण्ड	167914.17	135264.57	153805.66	184077.29	152924.99	152134.93
12	कर्नाटक	225864.88	295632.54	304024.77	330836.82	300029.16	360463.91
13	केरल	158248.96	185406.40	235473.91	242287.90	190188.85	298313.80
14	मध्य प्रदेश	344891.62	376889.92	468140.91	364831.50	425404.71	540397.10
15	महाराष्ट्र	165708.93	185828.74	201463.63	209426.19	230809.47	238921.68
16	मणिपुर	34370.41	15778.89	28698.66	36979.65	19507.03	29233.76
17	मेघालय	86069.23	87060.44	79343.60	79436.83	113470.95	91334.18
18	मिजोरम	14451.26	20081.04	40240.44	14983.11	21227.89	49303.81
19	नागालैंड	50152.80	110492.88	19322.98	61872.72	96963.81	24368.15
20	ओडिशा	189526.84	219834.66	221821.01	213571.10	250406.55	231565.77
21	पंजाब	49073.46	61895.86	59855.36	53358.51	63817.59	66980.30
22	राजस्थान	481816.86	472828.41	549230.58	515296.25	513822.20	568183.56
23	सिक्किम	13262.56	10571.15	9743.42	13747.11	12486.45	9453.49
24	तमिलनाडु	455277.91	583166.13	495166.28	567400.22	635476.84	576646.27
25	तेलंगाना	180684.74	253920.33	295817.48	210898.07	278475.25	318504.11
26	त्रिपुरा	101629.14	40440.50	44254.15	120027.55	46645.36	55521.87
27	उत्तर प्रदेश	391584.94	369177.65	546465.02	425261.38	450298.03	583226.55
28	उत्तराखण्ड	51435.08	71685.06	61004.67	72024.05	69243.73	63322.31
29	पश्चिम बंगाल	537722.79	592702.95	735838.44	724584.37	791315.46	772935.04
30	अण्डमान और निकोबार	801.40	966.07	761.93	267.60	417.31	566.43
31	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
32	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	26.71	15.97	20.37	21.22	24.22
34	पुदुचेरी	346.92	1569.03	1475.36	1100.51	1450.35	1573.15
	कुल	4838716.30	5570606.67	6242189.65	5809040.95	6402660.25	6962415.44

* वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अस्वीकृत एफटीओ के 56268.00 लाख रु. शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अस्वीकृत ट्रांजेक्शन राशि को वापस लौटाने के कारण मजदूरी व्यय में से 136890.498 लाख रु. की कटौती शामिल है।

\$ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 156046.92 लाख रु. की अस्वीकृत लेन-देन शामिल है।

नोट: किया गया व्यय कुल उपलब्ध निधियों से किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अंश, राज्य अंश, विविध प्राप्तियां और अर्जित ब्याज शामिल है।

